भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. †1654

दिनांक 10.12.2025 को उत्तर देने के लिए

उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आईबीएम निरीक्षण

†1654. एडवोकेट चन्द्र शेखरः

श्री हनुमान बेनीवालः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) ने विगत सात वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश और राजस्थान में खनन पट्टों का निरीक्षण किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त अवधि के दौरान निरीक्षित खदानों की संख्या कितनी है और स्वीकृत खनन योजनाओं के उल्लंघन, जिनमें अत्यधिक खनन या अवैध खनन शामिल है, के मामलों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या आईबीएम के पास उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सभी चालू खदानों का समय पर निरीक्षण करने के लिए पर्याप्त तकनीकी और फील्ड कर्मचारी हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने कर्मचारियों की कमी है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इन निरीक्षणों के दौरान पाए गए उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कोई दंडात्मक या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विगत सात वर्षों के दौरान लगाए गए दंडों का स्वरुप क्या है और निलंबित या रद्द किए गए पट्टों की संख्या कितनी है?

उत्तर

कोयला और खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख) भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम), खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 [एमसीडीआर, 2017] के अनुपालन, खनन योजना/खनन योजनाओं की समीक्षा, अंतिम खान

समापन योजनाओं के प्रसंस्करण और खानों की स्टार रेटिंग के सत्यापन हेतु प्रमुख खनिजों की खानों का निरीक्षण करता है।

निरीक्षण की गई खानों की संख्या और अनुमोदित खनन योजना के उल्लंघनों की संख्या का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	वर्ष	राजस्थान		उत्तर प्रदेश	
		निरीक्षण की गई खानों की संख्या	उल्लंघनों की संख्या	निरीक्षण की गई खानों की संख्या	उल्लंघनों की संख्या
1.	2018-19	83	71	0	0
2.	2019-20	121	75	2	2
3.	2020-21	68	61	1	0
4.	2021-22	79	63	3	0
5.	2022-23	95	60	2	0
6.	2023-24	111	65	3	3
7.	2024-25	150	79	3	0

(ग) आईबीएम उपलब्ध तकनीकी और फील्ड स्टाफ के साथ राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सभी प्रचालनरत खानों का समय पर निरीक्षण करने का प्रबंध करता है।

(घ) और (ड.) आईबीएम ने उपर्युक्त अवधि के दौरान, एमसीडीआर, 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर उत्तर प्रदेश में पट्टाधारकों को सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए उल्लंघन पत्र जारी किए हैं। पट्टाधारकों ने सुधारात्मक कार्रवाई कर ली है।

इसके अतिरिक्त, राजस्थान राज्य सरकार ने इस अवधि के दौरान राज्य में उल्लंघनों के कारण 44 खनन पट्टों को रद्द कर दिया है। साथ ही, 2021-22 से 2024-25 के दौरान राज्य में विभिन्न पट्टाधारकों पर कुल 72,61,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

*****